

से. प्र.
सा. प्र. 8/11/11

पान नं. 1/11/11
पंजाब नं. 1/11/11

राजस्थान सरकार-शिक्षण विभाग

कार्यालय उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक नं. 7, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर

24 X XI

क्रमांक : उनि/प्रार.शि/जय/सि/का.व्य.० /2011 /1435 /11/10/11

उत्प्रेसा शिक्षा आवेकरी
प्रारम्भिक शिक्षा
अमृत (सर्वकार)

विषय: प्रचाली अणकाश में वेतन अडगलान के केंद्र में

विषयानुसार जैसा है कि अधीनस्थ कार्यलयों द्वारा प्रचाली अणकाश के प्रकण्डों में कार्मिक को वेतन अडगलान, निरुत्तर न कर अणकाश अमृत के तहत 'फिटनेस' प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जा सके है। यह प्राप्ति निम्नानुसार सही नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि

आप एवं अधीनस्थ कार्यलय प्रचाली अणकाश प्रकण्डों में नियमित रूप से प्रतिमाह निरुत्तर वेतन अडगलान करवा डानिश्चित करी किसी भी कार्मिक को वेतन अडगलान में अवधान नहीं होने एवं कार्मिकता पर 'फिटनेस' प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वेतन देने की प्राप्ति पर बैंक के अंक अधीनस्थ कार्मिकों को पाबन्द कर अण कार्यालय में शांति करी।

उपनिदेशक
सा. प्र. 1/11/11
PS/UPS
21
4.11.11

281
1/11/11

कार्यालय की ई. ई. की प्रेषण
सं. 1669 दि. 30/11/11
नोडल प्र. अ.
जयपुर संभाग
उपरोक्त श्रीपालन
निश्चित कर अणको
शिक्षण की लानू विधालों
में सूचित करावे।

सा. प्र. शि. अ.
सं. 1/11/11

39 नं. 1/11/11
जयपुर संभाग

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी डा. जी. सी. सी.टी

क्रमांक : जि. शि. अ. प्रा. शि. सी. प्र. 1/11/11 / 1230

तारीख 31-10

प्रतिक्रिया :- सूचना, पालन एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
1. 13 नं. 1/11/11 सा. प्र. शि. अ. सी. प्र.

जिला शिक्षा अधिकारी
सा. प्र. शि. अ. सी. प्र.